प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 18.11.2026

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 18.11.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त चरण सिंह पुत्र धर्मपाल निवासी स्वरूप विहार दिल्ली, मूल निवासी खानपुर कलां थाना झिंझाना जिला शामली उम्र करीब 48 वर्ष को अवैध गांजा के साथ खड़खड़ी –निठौरा वाले कच्चे रास्ते पर झाड़ियों के पास थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे गांजा लेकर उसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर आसपास के क्षेत्रों में बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपने शौक पूरे करता हूँ। मैं गांजे को बेचने के लिए लोनी में आया था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

चरण सिंह पुत्र धर्मपाल निवासी स्वरूप विहार दिल्ली, मूल निवासी खानपुर कलां थाना झिंझाना जिला शामली, उम्र करीब 48 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 17.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी साबिर अली की प्राप्त तहरीर कि अभियुक्तगण 1.फरजाना पत्नी मोहम्मद नूरआलम 2.मोहम्मद मनव्वर पुत्र मोहम्मद नूरआलम निवासीगण यमुना विहार दिल्ली द्वारा वादी की माता की पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी करके कुछ व्यक्तियों को उक्त जमीन के कुछ हिस्से को अवैध रूप से बेचकर कब्जा करा देना व कोई भी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी

पर सुसंगत धारा-318(4)/338/336(3)/340(2)/329(3)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1. आतिफ हसन पुत्र नूर आलम 2. माजिद अली पुत्र सादक अली 3. अकरम पुत्र आरिफ समस्त निवासीगण ग्राम पावी साकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आने पर उपरोक्त के नाम की बढोत्तरी की गयी तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. फरजाना 2. मोहम्मद मनव्वर 3. अकरम 4. माजिद को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 18.11.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मौ0 हातिफ हसन उर्फ आतिफ हसन पुत्र नूर आलम निवासी यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली उम्र करीब 23 वर्ष को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षडयन्त्र कर वादी की माता जी की पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के फर्जी कागजात तैयार कर धोखाधड़ी करके उपरोक्त भूमि पर कब्जा कर लिया था तथा उपरोक्त भूमि के कुछ हिस्से को अवैध रूप से बेच दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

मौ0 हातिफ हसन उर्फ आतिफ हसन पुत्र नूर आलम निवासी यमुना विहार थाना भजनपुरा दिल्ली, उम्र करीब 23 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग (कुल 02 अभियोग) पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।